

‘Explanation.- For the purposes of this notification,-

- (a) “Moulded Plastics” means moulded plastic housing component with or without integrated AC pins that acts as enclosure to the printed circuit board used in a charger or adapter of cellular mobile phones;
- (b) “Printed Circuit Board Assembly (PCBA)” means printed circuit board assembled with electronic components such as resistors, capacitors, diodes, inductors, ICs and mechanical components such as contact springs or connectors of charger or adapter of cellular mobile phones.’

[F. No. 334/04/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 23/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 126(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"62क	8545 11 00	भट्टियों के लिए प्रयुक्त तरह के इलेक्ट्रोड्स	कुछ नहीं".

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 03/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 87(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 23/2018-Customs

G.S.R. 126(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide*, number G.S.R.153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table, after S.No. 62 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"62A.	8545 11 00	Electrodes of a kind used for furnaces	Nil".

[F. No. 334/04/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended, *vide*, notification No.03/2017-Customs, dated the 2nd February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R.87(E), dated the 2nd February, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 1/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 10/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 140(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 1/2018-Central Excise**

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 (21 of 1998) read with sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2015 –Central Excise, dated the 1st March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 140(E), dated the 1st March, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 2/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 128(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 11/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 141(अ), तारीख